।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक–प.6(1)मुख्यालय/2023/ई–प्रिजन्स/7347-457 दिनांक 17/05/2023

–:परिपत्र:–

राजस्थान कारागार नियम 2022 के अध्याय 43, नियम 987 के तहत राज्य की कारागृहों में निरुद्ध बंदियो के डाटा को ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर डाटा अपडेट (कम्प्यूटरीकरण) किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु एनआईसी/कम्प्यूटर सैल मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक जेल/कार्यालय को एडमिन यूजर आईडी एवं पासवर्ड जारी किये गये है।

   एडमिन यूजन द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी:–

   a) एडमिन यूजर आईडी के द्वारा कार्य करने वाले कार्मिकों के यूजर आईडी एवं पासवर्ड तैयार करने का कार्य करेगा,

   b) एडमिन यूजर ई–प्रिजन्स प्रबन्धक के रूप में कार्य करेगा,

   c) एडमिन यूजर के माध्यम से ई–प्रिजन्स पर कार्य करने हेतु केवल प्रभाराधिकारी एवं ई–प्रिजन्स नोडल अधिकारी को अनुमति प्रदान की जाती है,

   d) सहायक यूजर को एक्टिव/डिएक्टिव(कार्मिक को लगाने एवं हटाने के दौरान) करने का कार्य एडमिन यूजर के द्वारा किया जायेगा।

2. ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर कार्यरत कार्मिकों को स्वयं के यूजर आईडी के माध्यम से ही बंदियो की डाटा एन्ट्री करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

3. नोडल अधिकारी/संबंधित शाखा के प्रभारी प्रतिदिन की डाटा एन्ट्री की जाँच कर प्रमाणित करें व किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अविलम्ब ही संशोधित करावें अन्यथा प्रभाराधिकारी एवं नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

4. जेल प्रभारी प्रति सप्ताह नोडल अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करें कि ई–प्रिजन्स का कार्य पूर्ण है एवं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

5. बंदियों का निम्नांकित डाटा अपडेशन समय पर पूर्ण किया जावे :–

   1. Prisoner's Primary Details, Classification Details, Family Details & Corona Vaccine 2. Photo Capture 3. Finger Capture 4. Court Cases

Entry 5. Court Case Action Entry 6. Medical 7. Movement 8. Visitor Registration 9. Lodging 10. Property 11. Children Details 12. Training 13. Punishment 14. Corona Test Entry 15. Conviction Details 16. Appeals 17. Remission 18. Parole 19. Other Details.

उपरोक्त बिन्दुओं का समय पर इन्द्राज नहीं किये जाने पर संबंधित शाखा प्रभारी / ई–प्रिजन्स नोडल अधिकारी / जेल प्रबन्धक / प्रभाराधिकारी जवाबदेह होगें।

6. जेल बन्द / खोलते समय जेल डाईजेस्ट व ई–प्रिजन्स पर कुल बंदियों की संख्या व बंदियों के वर्गीकरण की संख्या समान रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

7. सजायाफ्ता बंदी शाखा / विचाराधीन बंदी शाखा / विधि शाखा / उद्योग शाखा के प्रभारियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं की शाखा से संबंधित बंदियों के डाटा को निर्धारित समय पर अपडेट करावें।

8. जेल / सुरक्षा व्यवस्था के दौरान किसी बंदी की बैरिक्स / वार्ड को बदलने पर ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर निर्धारित समय(Real Time) पर परिवर्तन को अपडेट करने हेतु कारापाल प्रबंधक उत्तरदायी होगें।

9. उप–महानिरीक्षक रेन्ज द्वारा अधीनस्थ कारागृहों की ई–प्रिजन्स की एन्ट्री / अपडेट डाटा के संबंध में माह के प्रथम सप्ताह में ई–प्रिजन्स डाटा की जॉच की जायेगी एवं पूर्ण नहीं पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

10. ई–प्रिजन्स प्रोजेक्ट के तहत समस्त उप–महानिरीक्षक कारागार रेन्ज / समस्त कारागृहों पर ई–प्रिजन्स मास्टर ट्रेनर / ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को एनआईसी एवं जेल मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया हुआ है, जिनकी संख्या वर्तमान में लगभग 966 है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर एनआईसी / जेल मुख्यालय के द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाकर कार्य पूर्ण करवाया जा सकता है।

11. महानिदेशालय कारागार की बंदी / सांख्यिकी / विधि एवं अन्य शाखा को निर्देशित किया जाता है कि बंदियों संबंधी सूचना की आवश्यकता होने पर सूचना ई–प्रिजन्स से प्राप्त करें एवं डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित कारागृह के डाटा को अपडेट करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं

ई–प्रिजन्स सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का अपडेट करने हेतु कम्प्यूटर शाखा को लिखित में सूचना देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

12. जेल प्रभारी प्रतिदिन ई–प्रिजन्स नॉडल प्रभारी से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त करे–

a) Alerts for Today.

b) Data Health Card Reports.

c) Custody Certificate.

d) Hon'ble High Court Appeals.

e) Fastrack Release Order.

उक्त बिन्दुओं में किसी भी प्रकार का डाटा पेण्डिग नहीं होना चाहिए।

13. उपरोक्त बिन्दुओं की मॉनिटरिंग हेतु कम्प्यूटर शाखा को निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर राज्य के कारागृहों के डाटा की मॉनिटरिंग कर उच्चाधिकारियों को अवगत करावें एवं साथ ही सॉफ्टवेयर में अपडेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

14. राज्य की कारागृहों पर संचालित ई–मुलाकात के संबंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण रूप से पालना की जावे:–

a) ई–मुलाकात हेतु प्राप्त रिक्वेस्ट को केन्द्रीय कारागृहों पर प्रभारी अधीक्षक या कारागृह प्रबन्धक के द्वारा एवं अन्य समस्त कारागृहों पर प्रभारी के द्वारा ही स्वीकृत/अस्वीकृत की जावें।

b) जेल सुरक्षा को द्रष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ऐसे बंदियों की ई–मुलाकात नहीं कराई जावे (जैसे पाक, टाडा, बापर्दा, केन्द्रीय/राज आईबी/सीबीआई, एटीएस की निगरानी में होने वाली मुलाकाते इत्यादि)

c) कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि किसी हार्डकोर/हिस्ट्रीशीटर/अन्य बंदी की ई–मुलाकात नही कराई जाती है तो इसको प्रभारी रिकॉर्ड में लेवे।

d) बंदी की ई–मुलाकात का समय पॉच मिनट ही निर्धारित है, जिसका विशेष ध्यान रखा जावे एवं मुलाकात का रिकॉडिग आवश्यक रूप से

e) ई–मुलाकात हेतु प्राप्त रिक्वेस्ट को बंदी द्वारा ई–प्रिजन्स या पिक्स सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से एवं अधीवक्ता, परिजनों में माता–पिता, पत्नी, भाई व बहन से प्राप्त रिक्वेस्ट को ही स्वीकृत किया जावे।

f) ई–मुलाकात के दौरान केवल एक लिंक के साथ एक वी.सी. को ही कनेक्ट करें, अन्य के साथ कॉन्फ्रेंस नहीं किया जावे।

g) उक्त परिपत्र के क्रम में ई–मुलाकात को भी कारागृह निरीक्षण में रखा जावे एवं किसी भी अधिकारी के निरीक्षण पर ई–मुलाकात के डाटा की जॉच की जावे, किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही अमल मे लायी जावे।

नोटः–उक्त परिपत्र की समस्त बिन्दुओं की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जावे, सॉफ्टवेयर पर कार्य में या डाटा अपडेशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(विक्रम सिंह कर्णावत)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, महानिरीक्षक, पुलिस/कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. उप–महानिरीक्षक कारागार रेन्ज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
5. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/महिला सुधारगृह/उप–कारागृह, राजस्थान।
6. उप विधि परामर्शी महानिदेशालय कारागार राजस्थान।
7. प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान।
8. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर